375 483

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर

म0प्र0

पुनरीक्षण प्र0क0-............./14

R. 2542-III/14

कोदूलाल पिता अकाली नामदेव निवासी जीतनगर तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

म0प्र0राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक मैहर..................गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मैहर तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 के रा0प्र0क0-5/अ-12/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 01/05/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जीतनगर प0ह0जीतनगर रा0नि0मं0मैहर तहसील मैहर जिला सतना स्थित आराजी नं0-247/2/क रकवा 0.010हे0 का निगराकार एवं उसके भाई सुरेश, रामनरेश तथा मुस0 लीलादेवी पत्नी दिनेश कुमार, रामकुमार पिता दिनेश कुमार नाबालिग वली सरपरस्त मां लीलादेवी बेवा दिनेश कुमार भूमि स्वामी है जिस पर सरहद्दी कास्तकारो के द्वारा विवाद की स्थित निर्मित की जा रही थी जिससे भूमि की सही स्थित जानने के लिये निगराकार के द्वारा राजस्व निरीक्षक मैहर के समक्ष नियमन आवेदन पत्र दिनांक 31/10/13 को प्रस्तुत किया था जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 31/10/13 को आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प0ह0जीतनगर को आदेशित किये कि एक

----2

को0 दूलाल

(375)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग02542 / II–2014 जिला–सतना

कोदूलाल / शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चितेन्द्र पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक 05 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	